

Railway Bord's letter No. E(N.G.)II/2007/R.C.-04/C.O.R.E./I Dated 16.10.2017 & 12.12.2017 में निहित प्राक्धान के अलोक में महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त महाप्रबन्धक/कार्मिक गोरखपुर द्वारा जारी अधिसूचना सं०-का/227/1/री.इंगेजमेन्ट/भाग-VIII/2018 दिनांक 23/26-03-2018 के परिपेक्ष्य में विद्युत विभाग के तहत उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/कालोनी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर इकाई में री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) के पश्चात् शेष रह गयी रिक्तियों को भरने के लिये विभागीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है :-

विभाग	संवर्ग	रिक्त पदों की संख्या
उप मु०वि०इ०/कालोनी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।	विद्युत फिटर	03
	लाईनमैन	03
	खलासी	07

अतः उपरोक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों से री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत् होंगी :-

- 1- इस अधिसूचना के तहत आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 20-09-2019 को आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिये।
- 2- यह री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) एक वर्ष तक के लिए एवं इसके आगे अवधि विस्तार हेतु प्रति वर्ष व स्कीम की अवधि तक पीएचओडी के द्वारा संतोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा। यह री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) किये जाने से एक वर्ष तक अथवा रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा आरआरसी/आरआरबी से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने अथवा री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) स्कीम दिनांक 01-12-2019 की अवधि पूर्ण होने तक, जो पहले हो, तक सीमित रहेगी एवं इनका कार्य विस्तार उपरोक्त शर्तों के अधीन स्कीम के अवधि विस्तार तक सीमित रहेगा।
- 2- री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) के समय सेवानिवृत्तकर्मों को चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिये।
- 3- री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते Railway Bord's letter No. E(N.G.)II/2007/R.C.-04/C.O.R.E./I Dated 16.10.2017 एवं समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे।
- 5- री-इंगेजमेन्ट (Re-engagement) किये गये भू०पू० कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस समाप्त की जा सकती है।
- 6- ऐसे आवेदक जिन्होंने अधिसूचना के पूर्व ही आवेदन दिये हैं, वे पुनः निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन प्रेषित करें।
- 7- रिक्त के अनुसार विद्युत विभाग के कार्यशाखा से सम्बन्धित कैंडर के सेवानिवृत्त रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं।
- 8- स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना प्रकाशन हेतु जारी की जा रही है।
- 9- यह स्कीम 01.12.2019 तक वैध होगी, तत्सम्बन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- 10- आवेदन का प्रारूप संलग्न है।
- 11- आवेदन पत्र उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/कालोनी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर कार्यालय में रखे बाक्स में डाला जा सकता है अथवा इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक से उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/कालोनी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर पिन-273012 को भी आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20-09-2019 समय 18:00 बजे तक है।

अतः दिनांक 20-09-2019 तक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/कालोनी के अन्तर्गत मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र एवं पीपीओ की स्वप्रामाणित प्रति के साथ दिनांक 20-09-2019 के 18:00 बजे तक उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/कालोनी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को प्रेषित कर सकते हैं। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त पर प्रमुविइं महोदय का आदेश प्राप्त है।

**संलग्नक/आवेदन पत्र का प्रारूप।**

सकाधि/कालोनी  
कृते उप मुविइं/कालोनी  
दिनांक 21-08-2019

सं०-ई/ए/227/री.इंगेजमेन्ट/कालोनी/लूज/1848

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विसमुलेधि/स्था०अराज० पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
- 2- मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करने की कृपा करें।
- 3- महाप्रबन्धक/कार्मिक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
- 4- महाप्रबन्धक/विद्युत पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
- 5- नोटिस बोर्ड उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/कालोनी पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
- 6- समस्त सीसेइं/विद्युत, अधीन उप मुख्य विद्युत इन्जीनियर/कालोनी गोरखपुर।
- 7- सकाधि/आई.टी. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 8- महामंत्री नरम्/अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. एसोसिएशन गोरखपुर।

सकाधि/कालोनी  
कृते उप मुविइं/कालोनी  
दिनांक 21/08/19

रेलवे बोर्ड का पत्र सं०-ई(एन.जी.) 11/2007/आर.सी.-04/सी.ओ.आर.ई./। दिनांक 12.12.2017  
सन्दर्भ:-उप मुविई/कालोनी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं०-ई/ए/227/  
री-इंगेजमेन्ट/कालोनी/लूज/ दिनांक -08-2019

1	नाम	स्व-प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
2	पिता का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	सेवानिवृत्ति के समय पद	
5	आवेदित पद	
6	कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं	
7	सेवानिवृत्ति की तिथि	
8	वेतनमान एवं ग्रेड पे	
9	अंतिम मूल वेतन	
10	पेंशन की रकम	
11	पत्राचार का पता	
12	सम्पर्क नम्बर (मोबाईल)	
13	संलग्न (हों/नहीं)	1- सेवा प्रमाण पत्र- 2- पेंशन भुगतान आदेश-

मेरी जानकारी में ऊपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड/महाप्रबन्धक(कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक .....

हस्ताक्षर

पत्राचार का पता:-

.....  
.....  
.....

नाम:-

मोबाईल नम्बर- .....